

ARBIT



The Cracks In The Marble

Unity demands more than swords. It demands that we confront the fractures inside ourselves, before someone else exploits them

From Persia to Parle-G: The Enduring Legacy of Irani Chai

How a Persian brew found its forever home in Indian hearts, one creamy cup at a time

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरु

epaper.rashtradoot.com

Rashtradoot Metro

बार बार पूर्व मु.मंत्री अपनी पीठ ठोकते हैं, कि उनके शासन में “कोविड मैनेजमेंट” उत्कृष्ट था...(1)

पर था या नहीं, इस पर विस्तार से बाद में बात की जा सकती है, पर, यह ससबूत कहा जा सकता है कि “कोविड मैनेजमेंट” के नाम पर अरबों की लूट मची थी

- यह लूट इतने सुनियोजित तरीके से हुई कि, “राइट टु इन्फॉर्मेशन” (सूचना का अधिकार) के दफ्तरों के बीसियों चक्कर लगाने पड़े प्रमाण इकट्ठे करने में।
- पहले तो सरकार ने यह कहा कि प्राकृतिक आपदा व महामारी के दौरान लोक निर्माण से जुड़े कार्यों के लिये निविदा जारी करना असंभव हो जाता है। इस बहाने की आड़ में गहलोत सरकार ने, पारदर्शिता अधिनियम की पूरी अवहेलना करते हुए राष्ट्रीय आपदा राहत निधि के फंड से अस्पतालों में स्थायी निर्माण करने के आदेश दिये।
- इन निर्माण कार्यों में किसी भी तरह के मानक लागू नहीं किये गये, और बड़ी महंगी दरों पर निर्माण कार्य हुआ। जबकि, मार्च-अप्रैल 2020 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, आपदा राहत निधि से कोई भी स्थायी काम नहीं कराया जा सकता। ऐसे निर्माण कार्य को सरकार को अपने बजट से ही करवाना अनिवार्य है। पर, 31 मार्च 2021 को सरकार ने मेडिकल एजुकेशन विभाग को इस काम को राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से कराने की स्वीकृति दी, इस स्वीकृति में 131 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राहत निधि से खर्च करना शामिल है।

सकती है। पाठकों को बता दें कि प्राकृतिक आपदा व महामारी के दौरान लोक निर्माण से जुड़े कार्यों के लिये निविदा जारी करना असंभव हो जाता है, क्योंकि निविदा जारी करने वाले कानून, जैसे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आर.टी.पी.पी.) अधिनियम, भी निलंबित हो जाते हैं, इसलिये कोविड महामारी के दौरान अशोक गहलोत सरकार द्वारा नियमों की भारी अवहेलना करते हुए एस.डी. आर.एफ़.के फंड के उपयोग से अस्पतालों में आई.सी.यू जैसे स्थाई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

1

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

साधन भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक एफ.8(10) आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2024/ जयपुर, दिनांक: As per E-sing

प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा-1, राजस्थान, जयपुर।

विषय:- राज्य आपदा निधि से गैर अनुमत गतिविधि टर्नकी आधार पर NICU निर्माण पर अनियमित व्यय राशि रुपये 425.60 लाख एवं कार्य सम्यादन में पायी गयी अभियोगिताओं के सन्दर्भ में।

प्रसंग:- AAO/FP-64 का ई-मेल दिनांक 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) के क्रम में।

महोदय, उपर्युक्त विषयान्वर्तित प्रारंभिक पत्र द्वारा कोविड-19 के दौरान आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का राशि रुपये 10775.70 लाख की जारी प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 4896-4903 दिनांक 31.03.2021 के विरुद्ध मेडिकल कॉलेज जूनापुर द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से गैर अनुमत गतिविधि टर्नकी आधार पर एम्बार्डेसीयू निर्माण पर अनियमित व्यय राशि रुपये 425.60 लाख एवं कार्य सम्यादन में पायी गयी अभियोगिताओं के पर टिप्पणी चाही गयी है कि उक्त व्यय राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि तथा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु अनुमोदित प्रक्रणों के अनुरान्त अनुमत्य थे अथवा नहीं?

इस संबंध में निवेदन है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 33-4/2010-NDM-1 दिनांक 14.03.2020, 15.04.2021 के द्वारा कोविड-19 के लिए निमानुसार मद (ITEMS) स्वीकृत किये गये थे:-

Measures for quarantine, sample collection and screening:

a. Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care, etc. for people affected and sheltered in quarantine camps (other than home quarantine) or for cluster containment operations.

b. Cost of consumables for sample collection.

c. Support for checking, screening and contact tracing.

Procurement of essential equipments/labs response to COVID-19: for

a. Cost of setting up additional laboratories within testing the Government and the cost of consumables.

b. Cost of personal protection equipment for healthcare, municipal, police and fire authorities.

c. Cost of Thermal Scanners, ventilators, air purifiers, oxygen generation and storage plant in hospitals, strengthening ambulance services for transport of patients, setting up containment zones, Covid-19 hospital, Covid-19 care centres and consumables for Government hospitals.

गृह मंत्रालय (DM Division) भारत सरकार के द्वारा दिनांक 08.04.2025 एवं 10.10.2022 के द्वारा जारी एसडीआरएफ मद एवं नोंसों के अनुसार निमानुसार प्राधान स्वीकृत है:-

Items Not Covered under SDRE/ NDRF

(f) State Govt Buildings viz. departmental/office quarters, religions structures, patwarkhana, Court buildings and animal/bird sanctuary etc.

(g) Long term/permanent restoration work.

Signature valid

Digitally signed by (मानव सिंह) संयुक्त शासन सचिव

2

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

साधन भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक एफ.8(10) आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./एम्ब/2020/4-648-54

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या:- 48/2020-21

राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2021 में लिए गए निर्णय के संदर्भ में चिकित्सा शिक्षा विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान से प्राप्त प्रमाण क्रमांक 1577 दिनांक 25.03.2021 द्वारा ICU, NICU Other equipments and Ventilators for GMCs (as part of COVID care Management) हेतु निमानुसार उपकरण काय करने के लिए राशि रु 8520.00 लाख (अक्षरे विधायी करोड़ बीस लाख रु म 3) की मांग की गयी है:-

S No	Medical College	Heads of Exp. (Required funds/amount)	Other equipments	Ventilators (5 to Each)	Total Required Funds/Amount (Rs. in Lakh)	
		ICU	NICU			
1	Kothi	750.00	1260.00	280.0 (MGPS & CGP)	75.0	2365.00
2	Udaipur	750.00	307.00	0.0	75.0	1132.00
3	Jodhpur	1300.00	460.00	0.0	0.0	1760.00
4	Ajmer	750.00	307.00	0.0	75.0	1132.00
5	Bikaner	750.00	227.00	0.00	75.0	1052.00
6	Bharatpur	456.00	0.00	0.00	0.0	456.00
7	Bhilwara	0.00	167.00	0.00	0.0	167.00
8	Bharatpur	456.00	0.00	0.00	0.0	456.00
Total						8520.00

चिकित्सा शिक्षा विभाग की मांग अनुसार कोविड-19 एसडीआरएफ मद में उपलब्ध प्राधानानुसार उक्तानुसार उपकरण प्राय करने हेतु राशि रुपये 8520.00 लाख (अक्षरे विषयमासी करोड़ बीस लाख रु म 3) के निर्देशक प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRE) से किए जाने की एतद् द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न बजट मद पर प्रभाव होगा-

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02- बाढ़ प्रकृवात आदि

282- लोक स्वास्थ्य

(07)- (बाढ़ क्षेत्र में लोक-स्वास्थ्य)

[01]- (दवायों की पूर्ति)

22- सामग्री और प्रदाय (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत राशि रुपये 6390.00 लाख) (राज्य निधि 26 प्रतिशत राशि रुपये 2130.00 लाख)

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

1. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया को पालन सुनिश्चित की जाये।

2. राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता को अनुसार निर्भिन्न प्रयोजन के लिये की जाये। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

3. व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रमाण के अनुसार किया जाये।

4. व्यय के लेखों महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये सदैव सुलभ रहेंगे।

5. यह स्वीकृति विभागीय आदेश क्रमांक एफ.8(10) आ.प्र. एवं सहा./आ.प्र./2020/3783-89 दिनांक 20.03.2020 के अनुसार प्रदान की जाती है।

Digitally signed by (मानव सिंह) संयुक्त शासन सचिव

दस्तावेज (1) राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से संयुक्त शासन सचिव ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से नियमों को उद्धृत करते हुए बताया है कि एस.डी.आर. एफ़. फंड का उपयोग मरीजों की जांच करने, “क्वॉरंटीन” करने और मेडिकल लैब में जरूरी उपकरण, पी.पी.पी. किट इत्यादि लेने के लिये किया जा सकता है। इस फंड का उपयोग स्थाई या लंबे समय के लिये उपयोग में आने वाले निर्माण कार्यों या मरम्मत कार्यों में नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक गहलोत सरकार को भी इस नियम कायदे की भली भांति जानकारी थी। दस्तावेज (2) इसलिये एस.डी.आर.एफ़. फंड के उपयोग के लिये राज्य सरकार ने पहले आदेश में आई.सी.यू. व एन.आई.सी.यू. में वैटीलेटर तथा अन्य उपकरणों के खरीद के आदेश दिये हैं। परंतु बाद के आदेशों में शब्दों को गोल-मोल कर आई.सी.यू. के निर्माण कार्यों के आदेश कुछ गिनी-चुनी कंपनियों को दिये गये।

धनखड़ की टिप्पणी ने भारी विवाद उत्पन्न किया

धनखड़ की टिप्पणी के अनुसार, न्यायपालिका अनावश्यक रूप से विधायकों के काम में हस्तक्षेप कर रही है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 19 अप्रैल। विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केन्द्र सरकार को दी गई अंतरिम आदेश ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विशेषतौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बैंच की भूमिका को लेकर न्यायपालिका अभूतपूर्व जांच के दायरे में आ गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हालिया टिप्पणियों ने विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन पर बहस को और तेज कर दिया है।

जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी को दो साल की सजा

जयपुर, 19 अप्रैल। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने 15 साल पहले विश्वकर्मा क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को नहीं तोड़ने की एवज में 7 हजार रुपये की रिश्तत लेने के मामले में, जेडीए के

- पंद्रह वर्ष पुराने मामले में अवैध निर्माण तोड़ने के लिये रिश्तत लेने के मामले में रिटायर हो चुके प्रवर्तन अधिकारी व फील्ड सहायक को एसीबी मामलों की अदालत ने सजा सुनाई।

रिटायर हो चुके तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा और फील्ड सहायक कैलाश जांगिड़ को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, पीठासीन अधिकारी बुबेश कुमार शर्मा ने दोनों अभियुक्तों पर कुल तीस हजार रुपये का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- धनखड़ ने, कानून बनाने के मामले में संसद को सुप्रीम माना है, तथा सुप्रीम कोर्ट को सचेत किया कि, सुप्रीम कोर्ट का वक्फ संशोधन विधेयक के मसले पर “जुडिशियल ओवर रीच” (अनाधिकार चेष्टा) उचित नहीं है।

सत्रह अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, केन्द्र सरकार को वक्फ संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि विवादास्पद

अक्षर आर्थिक संकट से जूझ रही सरकारों में देखा गया है, वे अपने संकट का सारा दोष सैन्ट्रल बैंकों पर मढ़ देती हैं। आमतौर पर सरकारें और वित्त मंत्री ब्याज दरें तय करने और मौद्रिक नीति (मॉनिटरी पॉलिसीज) पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, जबकि केंद्रीय बैंक के गवर्नर और अध्यक्ष इस क्षेत्र पर अपने विशेषाधिकार की बात करते हैं। वर्तमान में डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के सैन्ट्रल बैंक से अपेक्षा कर रहे हैं कि वह नीतिगत ब्याज दरें कम करे और सरकार को एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति (एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी) के जरिये समर्थन दे। जबकि, फेडरल रिजर्व ने सतर्क नीति अपनाई है और मॉनिटरी पॉलिसी व ब्याज दरों को लेकर “आंकड़ा आधारित”

दृष्टिकोण पर जोर दिया है। इस स्पष्ट विरोध के चलते राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सैन्ट्रल बैंक पर सीधा हमला बोला है और कहा है कि चेयरमैन जेरोम पॉवेल को तुरंत हटाय़ा जाना चाहिए ट्रंप पॉवेल को हटाने को लेकर बहुत उतावले हैं। मई 2026 में फ़ैडरल रिज़र्व चेयरमैन पॉवेल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और ट्रंप हर हाल में उससे पहले पॉवेल को हटाना चाहते हैं। लेकिन, अमेरिका में ऐसी कई कानूनी मिसालें हैं, जो केन्द्रीय बैंक चीफ और अन्य स्वतंत्र सरकारी संस्थाओं की स्वायत्तता की रक्षा करती हैं। लेकिन ट्रंप एक और मोर्चा खोलने को तैयार हैं।

मुख्य अभियन्ता भरतपुर फ्लड कंट्रोल का मानचित्र पेश करें

जयपुर, 19 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिए बनाए गई सिटी फ्लड कन्ट्रोल डेन में हुए अतिक्रमण के मामले में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को 13 मई को व्यक्तिगतः हाज़िर होकर मौजूदा स्थल पर राजस्व मानचित्र को सुपर इंपोज़ करते हुए मानचित्र पेश करने

- हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को 13 मई को स्वयं पेश करने के आदेश दिये।

को कहा है। अदालत ने कहा कि मामला साल 2019 से लंबित है और अदालत ने गत वर्ष राज्य सरकार से यह रिकॉर्ड मांगा था। इसके बावजूद अब तक अदालत को सुपर इंपोज़ मानचित्र की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

धनखड़ की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आक्रामक टिप्पणी भाजपा का पलटवार है न्यायपालिका के खिलाफ?

ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा हाईकमान, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि पर राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिये समय अवधि का अंकुश लगाने से बहुत खिन्न है

- रेणु मिश्रल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 19 अप्रैल। ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश की सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय पर बहुत सोचा-समझा तथा सावधानीपूर्वक तथा योजनाबद्ध रूप से तैयार किया हुआ हमला है, जिसे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अंजाम दिया गया है। ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बुरी तरह व्याकुल तथा आहत होने के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सर्वोच्च

न्यायालय को काबू में लेने के प्रयास शुरू कर दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ

- उप राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि, आर्टिकल 142 प्रजातंत्र ताकतों के खिलाफ छोड़ा गया न्युक्लियर मिसाइल है।
- धनखड़ के बाद भाजपा के सांसद निशिकान्त दुबे ने और भी रंगीन व असंसदीय भाषा में सुप्रीम कोर्ट को कोसा।
- अब तक भाजपा की पूर्णतया चल रही थी, संसद में उठाये गये सभी मुद्दों पर, अब पहली बार अवरोध का सामना करना पड़ रहा है, अतः न्यायपालिका को टारगेट बनाया गया है, इतने आक्रामक तरीके से।

अत्यन्त कठोर और निरानुपूर्वी भाषण की पहल देश के उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने की थी

और अब उन्हीं का अनुसरण भाजपा सांसद निशिकान्त दुबे ने किया है, जिनका उपयोग भाजपा का शीर्ष नेतृत्व विपक्ष के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग करने तथा खरी-खोटी सुनाने के लिए प्रायः करता रहता है। राज्यपाल रवि द्वारा स्टालिन सरकार के विधेयकों को रोकें रखने तथा उन पर कुण्डली मार कर बैठे रहने को सर्वोच्च न्यायालय ने नरमी से नहीं लिया था। न्यायालय ने दृढ़ तात्पूर्वक कह दिया था कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल यह सुनिश्चित करें कि उनके पास भेजे गये (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अपहरण कर कई दिन दुष्कर्म करने वालों को 20 साल की सजा

जयपुर, 19 अप्रैल। ज़िले की पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवकों को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने 22 वर्षीय इन अभियुक्तों पर कुल 6.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्तों में से एक, पीडिता की

- पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अभियुक्तों पर 6.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषी का भाई और दूसरा उसका दोस्त है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवसिया ने अपने आदेश में कहा कि इन दिनों अवयस्क बालिकाओं के साथ लैंगिक अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK